1. Who prepares and maintains the accounts of the Government of Rajasthan?
(a) Accountant General, Rajasthan
(b) Director, Treasury and Accounts
(c) Director, Inspection Department
(d) Comptroller and Auditor General

1. राजस्थान सरकार लेखे कौन तैयार कर संधारित करता है-
(अ) महालेखाकार, राजस्थान
(ब) निदेशक, कोष एवं लेखा
(स) निदेशक, निरीक्षण वभाग
(द) नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक

ANSWER:
(a) Accountant General, Rajasthan

Hint:- नियम 2. परिभाषायें :-

(i) "महालेखाकार" से लेखा एवं अंकेक्षण का या लेखा का *ऐसा कार्यालय अध्यक्ष* अ भप्रेत है जो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है। इन नियमों में जहाँ कहीं भी इस अ भव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका सन्दर्भ महालेखाकार, राजस्थान से है;

Rule 2. Definitions :-

(i) "Accountant General" means the Head of an office of accounts and audit or of accounts who keeps the accounts of the Rajasthan Government. The term wherever used in these rules refers to the Accountant General, Rajasthan;

Note:-

The office of the Accountant General, Rajasthan is located at Jaipur. It mainly performs the following functions :-
महालेखाकार, राजस्थान का कार्यालय जयपुर में स्थित है। इसके द्वारा मुख्यतः निम्न ल खत कार्य कए जाते हैं

1. Preparation of monthly accounts of Rajasthan Government on the basis of vouchers and challans received from Treasuries and compiled accounts received from PWD, PHED, Irrigation Department and Forest Department divisions.
कोषागारों से प्राप्त वाऊचर एवं चालानों तथा PWD, PHED, संचाई वभाग एवं वन वभाग के खंडों से प्राप्त संक लत लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के मा सक लेखे तैयार करना।

2. Preparation of Monthly Civil Accounts and Annual Financial and Appropriation Accounts of the Government of Rajasthan.
राजस्थान सरकार के मा सक स वल लेखे तथा वा र्षक वत्तीय एवं वनियोग लेखे तैयार करना ।

3. Maintenance of Deposit, Loan, Personal Ledger etc.
जमा, ऋण, व्यक्तिगत लेजर आदि का संधारण।

4. Auditing of Rajasthan government departments, local bodies, panchayati raj institutions, autonomous bodies and government companies.
राजस्थान सरकार के वभागों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों एवं सरकारी कम्पनियों की ऑ डट करना।

5. Preparation of State Audit Report of Comptroller and Auditor General.
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट (State Audit Report) तैयार करना।.

6. To assist in the examination of the State Audit Report by the Public Accounts Committee of the Legislative Assembly.
वधानसभा की लोक लेखा स मति द्वारा राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण में सहायता करना ।

2. According to the Financial and Accounts Rules, the definition of bank includes-
(a) State Bank of India
(b) Bank authorized by the Reserve Bank for government transactions and its branch
(c) Banks acting as agents of the Reserve Bank
(d) all of the above

2. वत्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बैंक की परिभाषा में सम्मि लत हैं-
(अ) स्टेट बैंक ऑफ इं डया
(ब) राजकीय लेन-देन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा अ धकृत बैंक तथा उसकी शाखा
(स) रिजर्व बैंक के एजेण्ट के रूप में कार्यरत बैंक
(द) उपर्युक्त सभी

ANSWER:

Whatsapp at
99280-86953

For Purchasing Complete Sample Paper Booklet
Download Commerce Point App

(d) all of the above

"बैंक" से अ भप्रेत है

(1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कोई शाखा जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के एजेण्ट के रूप में तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 (1934 का अ धनियम सं. 2) के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही हो तथा

(2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सब्सिडरी बैंक्स) एक्ट, 1959 (1959 का अ धनियम सं. 38) की धारा 2 में यथा-परिभा षत कसी सहायक बैंक की कोई शाखा, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एजेण्ट के रूप में सरकारी कारोबार निष्पादित करने के लए प्रा धकृत कया गया है या

(3) कसी भी बैंक की कोई शाखा जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपने एजेण्ट के रूप में कार्य करने के लए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त कया गया है;

"The Bank" means

(1) any branch of the State Bank of India acting as the agent of the Reserve Bank of India and in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934),

(2) any branch of a subsidiary Bank as defined in section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), which is authorised to transact Government business as agent of the State Bank of India or

(3) any branch of a bank as may be appointed by the Reserve Bank of India as its agent under the provisions of Reserve Bank of India Act, 1934;

3. State transactions are generally done in Rajasthan-
(a) State Bank of India
(b) Punjab National Bank
(c) by the Reserve Bank
(d) by Rajasthan Bank

3. राजस्थान में राजकीय लेन-देन सामान्यतः कया जाता है-
(अ) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
(ब) पंजाब नेशनल बैंक
(स) रिजर्व बैंक द्वारा
(द) राजस्थान बैंक द्वारा

ANSWER:
(a) State Bank of India

4. The places where there is no branch of SBI, it is authorized for official transactions-
(a) treasury
(b) Sub Treasury
(c) Branch of other banks available
(d) None of the above

4. जिन स्थानों पर एस .बी. आई. की शाखा नहीं है वहाँ राजकीय लेन-देन के लए अ धकृत होता है-
(अ) कोषागार
(ब) उप कोषागार
(स) उपलब्ध अन्य बैंकों की शाखा
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

ANSWER:
(c) Branch of other banks available

5. In which article of the Constitution the Consolidated Fund of the State has been defined-
(A) Article-206 (1)
(b) Article 267 (1)
(c) Article-266 (1)
(d) Article 205 (1)

5. राज्य की सं चत न ध को सं वधान के कस अनुच्छेद में परिभा षत कया गया है-
(अ) अनुच्छेद-206 (1)
(ब) अनुच्छेद 267 (1)
(स) अनुच्छेद-266 (1)
(द) अनुच्छेद 205 (1)

ANSWER:
(c) Article-266 (1)

"राज्य की सं चत न ध" से सं वधान के अनुच्छेद 266 (1) में यथा-परिभा षत ऐसी न ध अ भप्रेत है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त

Whatsapp at
99280-86953

For Purchasing Complete Sample Paper Booklet
Download Commerce Point App

राजस्व, कोषागार बिलों, उधारों (Loans) एवं मार्गोपाय अ ग्रमों (वेज एण्ड मीन्स एडवान्सेज) के निर्गम द्वारा उस सरकार द्वारा प्राप्त कए गए समस्त राजस्व तथा उधारों की अदायगी में उस सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनरा श शा मल है;

"Consolidated Fund of the State" means the fund, as defined in Article 266(1) of the Constitution, comprising of all revenues received by the Government of Rajasthan, all revenues raised by that Government by the issue of Treasury Bills, Loans or ways and means advances and all money received by the Government in repayment of loans;

निधि (FUND)

- **राज्य की संचित निधि** (संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में परिभाषित निधि)
- **राज्य का लोक लेखा** (संविधान के अनुच्छेद 267 (2) में परिभाषित निधि)
- **राज्य की आकस्मिकता निधि** (संविधान के अनुच्छेद अध्याय 16 के नियम268(2) में परिभाषित निधि
- **स्थानीय निधि** GF&AR के 266 (1) में परिभाषित निधि)

6. In which article of the constitution the contingency fund of the state has been defined-
(a) Article 267 (2)
(b) Article 267 (1)
(c) Article 266 (2)
(d) Article 266 (1)

6. राज्य की आकस्मिकता निध को संवधान के कस अनुच्छेद में परिभाषत कया गया है-
(अ) अनुच्छेद 267 (2)
(ब) अनुच्छेद 267 (1)
(स) अनुच्छेद 266 (2)
(द) अनुच्छेद 266 (1)

ANSWER:
(a) Article 267 (2)

7. For the advance of money out of the Contingency Fund of the State—
(a) The Governor is competent.
(b) The advance is made subject to subsequent approval by the State Legislature.
(c) Both of the above
(d) None of the above

7. राज्य की आकस्मिकता निध में से अग्रम रूप से धन देने के लए-
(अ) राज्यपाल सक्षम होता है।
(ब) अग्रम राज्य वधानसभा द्वारा बाद में, अनुमोदन की शर्त पर, दिया जाता है।
(स) उपर्युक्त दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

ANSWER:
(c) Both of the above

(viii) "राज्य की आकस्मिकता निध" से संवधान के अनुच्छेद 267 (2) में यथा-परिभाषत ऐसी निध अभप्रेत है जिसमें समय-समय पर ऐसी राशयों को जमा कया जायेगा जो वध द्वारा अवधारित की जाएं तथा जिन्हें, जो क संवधान के अनुच्छेद 205 या 206 के अधीन वध द्वारा राज्य के वधानमण्डल द्वारा ऐसा व्यय करने हेतु प्राधकृत कए जाने तक, उस प्रयोजनार्थ उस निध में से धन अग्रम रूप में दे सकने के लए राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखा जाए;

(viii) "Contingency Fund of the State" means the fund as defined in Article 267(2) of the Constitution, into which, shall be paid from time to time, such sums as may be determined by law and placed at the disposal of the Governor to enable advances to be made out of such fund for the purposes of meeting expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under Article 205 or 206 of the Constitution;

8. The officer who is responsible for controlling the expenditure and/or revenue incurred by other subordinate

8. वह अ धकारी जो अन्य अधीनस्थ वभागीय अ धकारियों द्वारा कए गए व्यय एवं/या राजस्व की वसूली पर नियंत्रण के लए उत्तरदायी हो,

Whatsapp at
99280-86953

For Purchasing Complete Sample Paper Booklet
Download Commerce Point App

departmental officers is called-
(a) Controlling officer
(b) Drawing and Disbursing Officer
(c) Head of Office
(d) Gazetted Officer

कहलाता है-
(अ) नियंत्रण अ धकारी
(ब) आहरण एवं वतरण अ धकारी
(स) कार्यालयाध्यक्ष
(द) राजपत्रित अ धकारी

ANSWER:
(a) Controlling officer

"नियन्त्रक अ धकारी" से वभागाध्यक्ष या ऐसा अन्य वभागीय अ धकारी अभिप्रेत है जिसे वभाग के अधीनस्थ प्रा धकारियों द्वारा कए गए व्यय एवं /या राजस्व की वसूली को नियन्त्रित करने का दायित्व सौंपा गया है;
"Controlling Officer" means a Head of a Department or other departmental officer who is entrusted with the responsibility of controlling the expenditure and/or the collection of revenue by the authorities sub ordinary to the department.

9. The primary unit for appropriation of Demands for Grants is—
(a) Major head
(b) Short head
(c) Detailed head
(d) None of the above

9. अनुदान मांगों के वनियोग के लए प्राथ मक इकाई है-
(अ) मुख्य शीर्ष
(ब) लघु शीर्ष
(स) वस्तृत शीर्ष
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

ANSWER:
(c) Detailed head

"वस्तृत शीर्ष" से सरकार की अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ वनियोग की प्राथ मक इकाई एवं वह शीर्ष अभिप्रेत है जिसमें न धयां अधीनस्थ प्रा धकारियों के नियंत्रणाधीन रखी जाती हैं
"Detailed head" means primary unit of appropriation for the the Demands for Grants of the Government and the head where funds are placed at the disposal of a subordinate authority;

10. The officer authorized to sign bills, draw, spend and make payments up to the prescribed limit is called-
(a) Head of Office
(b) Drawing and Disbursing Officer
(c) Controlling officer
(d) Gazetted Officer

10. बिलों पर हस्ताक्षर करने, आहरित करने, निर्धारित सीमा तक व्यय करने तथा भुगतान करने के लए अ धकृत अ धकारी कहलाता है-
(अ) कार्यालयाध्यक्ष
(ब) आहरण एवं वतरण अ धकारी
(स) नियंत्रण अ धकारी
(द) राजपत्रित अ धकारी

ANSWER:
(b) Drawing and Disbursing Officer

(xi) "आहरण एवं वतरण अ धकारी" से कार्यालय अध्यक्ष एवं उसके अधीन सेवारत ऐसा अन्य राजपत्रित अ धकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन वेतन एवं भत्तों सहित बिलों पर हस्ताक्षर करने, उन्हें आहरित करने, वनिर्दिष्ट सीमा तक व्यय करने तथा उसकी ओर से भुगतान करने के लए उसके द्वारा प्रा धकृत कया गया हो। इस अभिव्यक्ति में कोई वभागाध्यक्ष भी शा मल है जहाँ वह स्वयं ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करता हो;
(xi) "Drawing and Disbursing Officer" means a Head of office and also any other Gazetted Officer serving under Head of Office authorised by him under these rules to sign, draw bills including pay and allowances, incur expenditure to the

Whatsapp at
99280-86953

For Purchasing Complete Sample Paper Booklet
Download Commerce Point App

extent specified and make payments on his behalf. The term shall also include a Head of Department where he himself discharges such functions;

अधिकारी

अधीनस्थ प्राधिकारी (Subordinate Authority)

राजस्थान सरकार का विभाग या राज्यपाल के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी

A department of the Rajasthan Government or any authority subordinate to the Governor

विभागाध्यक्ष (Head of Department)

ऐसा कोई भी प्राधिकारी जिसे प्रत्यायोजन तथा इन नियमों के परिशिष्ट 8 में दी गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ उक्त रूप में घोषित

Any authority declared to be such for purposes of delegations and exercise of administrative and financial powers as in Appendix 8

प्रादेशिक अधिकारी (Regional Officer)

ऐसा अधिकारी जो विभागाध्यक्ष से नीचे तथा कार्यालयाध्यक्ष से ऊँचे पद का हो तथा जो विभाग के कार्यालयों के विनिर्दिष्ट शीर्षों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता है;

an officer below Head of Department and above the Head of Office who has administrative control over the specified Heads of Offices of the Department;

कार्यालयाध्यक्ष (Head of Office)

ऐसा राजपत्रित अधिकारी जो इन नियमों के नियम 3 के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है;

a Gazette Officer declared as such by the Head of the Department under Rule 3 of these Rules

आहरण व वितरण अधिकारी Drawing and Disbursing Officer

कार्यालय अध्यक्ष एवं उसके अधीन सेवारत ऐसा अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन वेतन एवं भत्तों सहित बिलों पर हस्ताक्षर करने, उन्हें आहरित करने, विनिर्दिष्ट सीमा तक व्यय करने तथा उसकी ओर से भुगतान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो इस अभिव्यक्ति में कोई विभागाध्यक्ष भी शामिल है जहाँ वह स्वयं ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करता हो

For more FREE& Paid Courses Download 'Commerce Point App' Download Now
Like, Share & Subscribe Our Youtube Channel Play Video
Follow us on Facebook Click Here
Follow us on Instagram Click Here
Question Bank Download Now